न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/218/2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2021/527

अपीलार्थी — **बनाम** — **प्रत्यर्थी**

श्री विजयसिंह मीना
निवासी–ग्राम सैमला, पोस्ट–हसनपुर, तहसील–लक्ष्मणगढ,
जिला–अलवर (राज.)–321607

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 30.12.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 31.01.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 01.11.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर) आवंटन पत्रावली बहक सुखराम पुत्र भौमा, मीना, सैमला, आवंटन दिनांकः 22.09.1975 के संबंध में 01 लगायत 05 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 28.12.2021 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 233 दिनांकः 31.01.22 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर/विनिश्चय कर इस न्यायालय को प्रति पृष्ठाकित की है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर प्रश्नगत वांछित सूचना प्रश्नात्मक/काल्पनिक होने व रसीद/नोटसीट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने बाबत विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया गया है।
8. प्रत्यर्थी द्वारा RTI आवेदन दिनांकः 01.11.2021 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर प्रथम अपील इस न्यायालय को पेश होने उपरान्त सूचित किया है जो उचित नहीं है। प्रभारी अधिकारी, जिला लेख भण्डार, कलक्ट्रेट, अलवर द्वारा RTI आवेदन दिनांकः 01.11.2021 के क्रम में जारी यू.ओ. नोट सं. 249 दिनांकः 15.11.2021 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. 11 दिनांकः 25.01.22 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया है जो काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, सुनिश्चित किया जावे।
9. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
10. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ प्रभारी अधिकारी, जिला लेख भण्डार, कलक्ट्रेट, अलवर को भी पालनार्थ प्रेषित हो।
12. आज दिनांकः 31.01.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर, अलवर